

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1085
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

युवाओं में हृदयाघात की घटनाएँ

1085. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में विशेषकर जिम जाने वाले युवाओं में दिल का दौरा और हृदयाघात से मृत्यु की घटनाएँ बढ़ रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि निजी क्षेत्र में अत्यधिक कार्य दबाव, देर रात तक काम करने की प्रवृत्ति तथा जिम में अत्यधिक शारीरिक श्रम जैसे कारक भी देश में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार के पास कोई अध्ययन/विशेषज्ञ रिपोर्ट उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(घ) क्या सरकार का विचार कार्य और जीवन में संतुलन और सुरक्षित व्यायाम के तरीकों के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी करने/कोई जन जागरूकता अभियान शुरू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) युवाओं में हृदय संबंधी बीमारियों और उनसे होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि दिल के दौरों के कारणों को समझने के लिए, आईसीएमआर-राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईई) ने भारत के 25 अस्पतालों में एक बहु-केंद्रित मिलान केस-कंट्रोल अध्ययन किया। ये मामले अक्टूबर 2021 और जनवरी 2023 के बीच अध्ययन अस्पतालों में भर्ती 18-45 वर्ष की आयु के मरीजों के थे, जिन्हें नए निदान किए गए एक्ज्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (एमआई) के साथ भर्ती कराया गया था। नियंत्रण 18-45 वर्ष की आयु के मरीज थे, जिन्हें अन्य कारणों से उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो अस्पताल में भर्ती होने के

समय से मेल खाते थे। विभिन्न जोखिम कारकों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। अध्ययन में पाया गया कि एएमआई के साथ अस्पताल में भर्ती होना किसी ज्ञात सह-रुग्णता की उपस्थिति, थ्रोम्बोटिक घटना के पारिवारिक इतिहास और कभी धूम्रपान करने से जुड़ा था।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हृदय रोग एनपी-एनसीडी का एक अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक और 233 हृदय परिचर्या इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत देश में मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित सामान्य एनसीडी की रोकथाम, नियंत्रण और जाँच हेतु जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के अंतर्गत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की जाँच की जाती है।

हृदयघात संबंधी घटनाओं के प्रबंधन के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल लागू किया गया है। जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (स्पोक) प्रारंभिक थ्रोम्बोलिसिस और स्थिरीकरण प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं, जबकि विशिष्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलेज (हब) उन्नत अंतःक्षेप प्रदान करते हैं। एम्बुलेंस सेवाएँ, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म और सुव्यवस्थित रेफरल मार्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पहुँच को और बेहतर बनाते हैं।

भारत सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हृदय रोगों सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बारे में किए जाने वाले जागरूकता सृजन कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत, सामुदायिक स्तर पर आरोग्य कार्यक्रमों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर, निवारक पहलू को मज़बूत किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया अभियान, नमक, चीनी और ट्रांस-फैट के कम सेवन को बढ़ावा देता है। फिट इंडिया अभियान का क्रियान्वयन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों संचालित किए जाते हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिसमें एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी सहित मध्यम और विशिष्ट हृदय परिचर्या शामिल है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और किफायती दवाएं एवं उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फ़ार्मेसीज़, किफायती हृदय संबंधी दवाओं, स्टेंट और प्रत्यारोपण तक पहुँच में सुधार लाती हैं, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है और दीर्घकालिक उपचार के अनुपालन में सहायता मिलती है।
